0/C

पत्र सं०- 3/एफ०-01-15/2025 2731 /वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

डॉ० आशिमा जैन, भा०प्र०से०
सचिव (व्यय)।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव,
सभी प्रधान सचिव/सचिव,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 11-03-2025

विषयः- **सरकारी पदाधिकारियों/कर्मियों के अध्ययन की अवधि व बिहार स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सकों की टेन्योर अवधि के विनियमन के संबंध में स्पष्टीकरण।**

प्रसंग :- **वित्त विभागीय पत्र सं०-10128, दिनांक-26.12.2003**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि वित्त विभागीय संकल्प सं०-932 दिनांक-05.02.1986 द्वारा सरकारी कर्मियों के 180 दिनों की अनिवार्य प्रतीक्षा की अवधि को विनियमित करने की शक्ति प्रशासी विभाग को प्रत्यायोजित है। विभागीय पत्रांक-10128, दिनांक-26.12.2003 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि सरकारी सेवक द्वारा पदस्थापन की प्रतीक्षा की अवधि के क्रम में आगे या पीछे अथवा बीच की अवधि में छुट्टी पर रहने की स्थिति में कुल प्रभार रहित अवधि (छुट्टी पर रहने की अवधि सहित) 180 दिन या उससे कम रहने पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से प्रशासी विभाग द्वारा स्वयं विनियमन किया जायेगा तथा 180 दिन से अधिक रहने पर वित्त विभाग की सहमति से विनियमन होगा।

2. बिहार सेवा संहिता के संगत नियमों एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत उच्चतर अध्ययन की अनुमति या अध्ययन के लिए अवकाश की स्वीकृति प्रशासी विभाग के सक्षम प्राधिकार द्वारा दी जाती है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत बिहार स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सकों को निर्धारित अवधि के लिये टेन्योर पदों जैसे रेजिडेन्ट/ट्यूटर इत्यादि पर कार्यरत रहने के लिये स्वास्थ्य विभाग के सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

3. प्रायः इस प्रकार के मामले संज्ञान में आते रहें हैं जहाँ सरकारी सेवक के पूर्वानुमति से किये गये उच्चतर अध्ययन/अध्ययन के लिए स्वीकृत अवकाश/टेन्योर पद की स्वीकृत अवधि से लौटने के पश्चात् विभागान्तर्गत पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहने की स्थिति में पूर्वानुमति से किये गये उच्चतर अध्ययन/अध्ययन के लिए स्वीकृत अवकाश/टेन्योर पद की स्वीकृत अवधि को जोड़कर 180 दिन से अधिक होने पर सेवा विनियमन का प्रस्ताव सहमति हेतु वित्त विभाग में भेजा जाता है, जबकि प्रशासी विभाग द्वारा उपरोक्त प्रकृति के अवकाश की स्वीकृति/टेन्योर अवधि की पूर्वानुमति नियमानुसार दी जा

Ashima Jain 11/3/2025

चुकी होती है, जिसके उपरांत ही सरकारी सेवक द्वारा अध्ययन/टेन्योर अवधि के लिए प्रस्थान किया जाता है। अतः इस अवधि को विनियमन प्रस्ताव में जोड़ा जाना औचित्यपूर्ण प्रतीत नहीं होता है।

4. पूर्वानुमति से किये गये उच्चतर अध्ययन/अध्ययन के लिए स्वीकृत अवकाश/टेन्योर पद की स्वीकृत अवधि के संबंध में प्रशासी विभाग द्वारा स्वयं निर्णय लिया जाना चाहिए। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रशासी विभाग द्वारा स्वयं निर्णय लिये जाने का उक्त प्रावधान विभागान्तर्गत पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के पहले की अवधि में ही विभाग की पूर्वानुमति से किये गये उच्चतर अध्ययन/अध्ययन के लिए स्वीकृत अवकाश/टेन्योर पद की स्वीकृत अवधि के लिए लागू होगा। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि टेन्योर पद की स्वीकृत अवधि का उक्त प्रावधान केवल स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत बिहार स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सकों के संबंध में ही लागू होगा।

5. अतः उक्त आलोक में निर्णय लिया जाता है कि किसी भी विभाग में सक्षम प्राधिकार की पूर्वानुमति प्राप्त करने के उपरान्त सरकारी सेवक के उच्चतर अध्ययन/अध्ययन के लिए सक्षम प्राधिकार से स्वीकृत अवकाश/टेन्योर पद की स्वीकृत अवधि (स्वास्थ्य विभाग के संदर्भ में) पूर्ण करने के पश्चात् लौटने के उपरांत पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार की पूर्वानुमति से किये गये उच्चतर अध्ययन/अध्ययन के लिए सक्षम प्राधिकार से स्वीकृत अवकाश/टेन्योर पद की स्वीकृत अवधि (स्वास्थ्य विभाग के संदर्भ में) को छोड़कर प्रशासी विभाग में वास्तविक प्रभार रहित अवधि 180 दिन से कम रहने की स्थिति में उसका विनियमन संबंधित विभाग द्वारा आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से किया जायेगा तथा यह अवधि 180 दिन से अधिक रहने पर उसका विनियमन संबंधित विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से किया जायेगा।

6. उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

Ashima Jain 11/3/2025

(डॉ० आशिमा जैन)

सचिव (व्यय),

वित्त विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-3/एफ0-01-15/2025 2731 /वि0, पटना, दिनांक- 11-03-2025

प्रतिलिपि :- **प्रभारी पदाधिकारी**, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Ashima Jain 11/3/2025

(डॉ० आशिमा जैन)

सचिव (व्यय),

वित्त विभाग, बिहार, पटना।